(26)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री मती मोनिका अरोड़ा व अन्य पिता /पति का नाम श्री अनुराग अरोड़ा प्लाट नं० 3, हाउस नं० 29 सिविल स्टेशन एम.जी.मार्ग इला० मुहल्ला वार्ड नम्बर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

61/प्र०अ०(भवन)/10-11
पत्रांक
दिनांक 20/X/2010

21 20-10-10
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़या, सीढ़ी, छाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965। नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

10/10

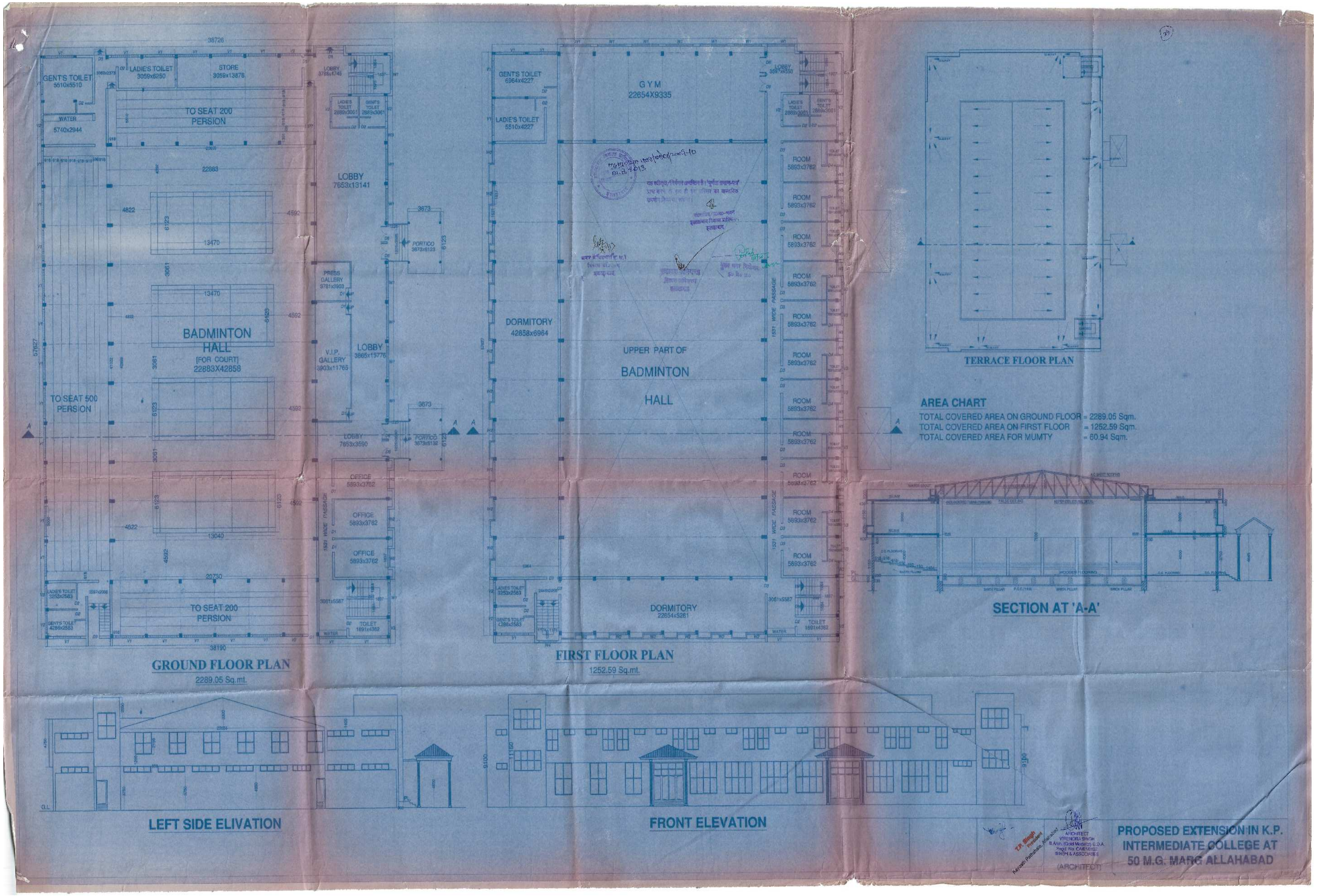
GENT'S TOILET 5510x5510
LADIE'S TOILET 3059x8250
STORE 3059x13878
WATER 5740x2944
TO SEAT 200 PERSION
BADMINTON HALL [FOR COURT] 22883X42858
TO SEAT 500 PERSION
LOBBY 7653x13141
PRESS GALLERY 3761x3903
V.I.P. GALLERY 3903x11765
LOBBY 3865x15776
PORTICO 3673x6123
LOBBY 7653x3590
OFFICE 5893x3762
TOILET 1691x4362
GROUND FLOOR PLAN
2289.05 Sq.mt.
GENT'S TOILET 6964x4227
LADIE'S TOILET 5510x4227
GYM 22854X9335
DORMITORY 42858x6964
UPPER PART OF BADMINTON HALL
ROOM 5893x3762
1531 WIDE PASSAGE
DORMITORY 22854x5281
FIRST FLOOR PLAN
1252.59 Sq.mt.
TERRACE FLOOR PLAN
AREA CHART
TOTAL COVERED AREA ON GROUND FLOOR = 2289.05 Sqm.
TOTAL COVERED AREA ON FIRST FLOOR = 1252.59 Sqm.
TOTAL COVERED AREA FOR MUMTY = 80.94 Sqm.
SECTION AT 'A-A'
LEFT SIDE ELIVATION
FRONT ELEVATION
(ARCHITECT)
PROPOSED EXTENSION IN K.P. INTERMEDIATE COLLEGE AT 50 M.G. MARG ALLAHABAD

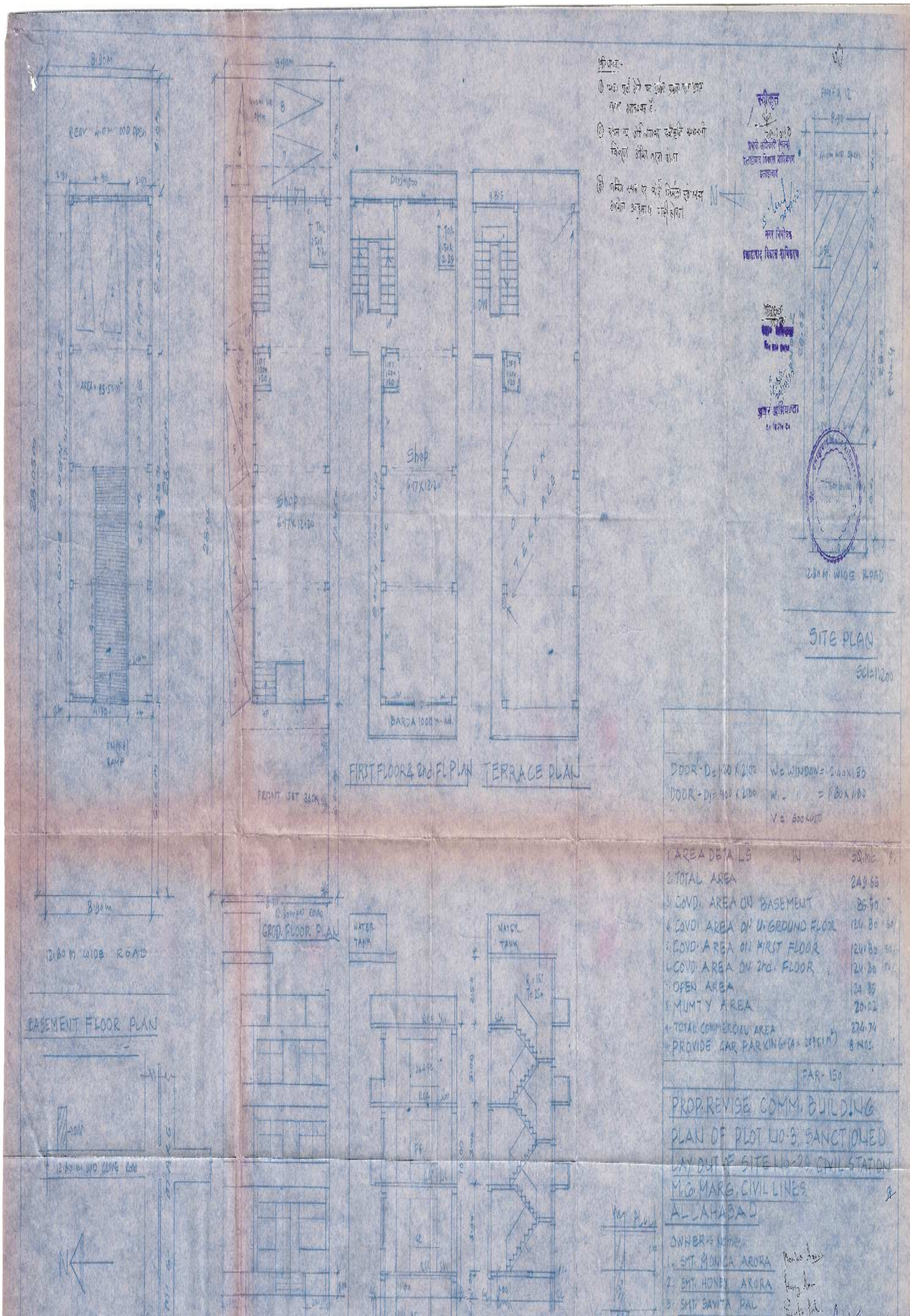
SITE PLAN
Scl=1:200
12.80 M. WIDE ROAD
DOOR - D = 1200 X 2100
DOOR - D1 = 900 X 2100
W = WINDOW = 240 X 180
W1 = 180 X 180
V = 600 X 450
1 AREA DETAILS
SQ.MT.
2 TOTAL AREA 249.69
3 COVD. AREA ON BASEMENT 85.50
4 COVD. AREA ON U. GROUND FLOOR 124.80
5 COVD. AREA ON FIRST FLOOR 124.80
6 COVD. AREA ON 2nd. FLOOR 124.80
7 OPEN AREA 124.89
8 MUMTY AREA 20.02
9 TOTAL COMMERCIAL AREA 274.74
PROVIDE CAR PARKING 8 NOS.
PAR - 150
PROP. REVISE COMM. BUILDING
PLAN OF PLOT NO. 3, SANCTIONED
LAY OUT OF SITE NO. 29, CIVIL STATION
M.G. MARG, CIVIL LINES
ALLAHABAD
OWNER'S NAME:-
1. SMT. MONICA ARORA
2. SMT. HONEY ARORA
3. SMT. SAVITA PAL
Er. V. K. MISHRA
BASEMENT FLOOR PLAN
12.80 m WIDE ROAD
GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR & 2nd FL. PLAN
TERRACE PLAN
Shop
TERRACE
FRONT SET BACK
WATER TANK
KEY PLAN
FRONT ELEVATION
SECTION AB
STAIR SECTION
FOUNDATION